कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्रमांक: 372/2021/CLR/13-**एम.एम.सेल/सी.यू.जी.**/2021 ग्वालियर, दिनांक 04/09/2021

प्रति,

1. **संभागीय आयुक्त**
   समस्त- मध्य प्रदेश
2. **कलेक्टर**,
   समस्त-मध्यप्रदेश।

विषय- राजस्व विभाग के शासकीय सेवकों को पदनाम आधारित विभागीय मोबाईल नम्बर (सी.यू.जी) सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनके संधारण किये जाने हेतु दिशा -निर्देश ।

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 194/2021/CLR/13-MM Cell/CUG/2021 दिनांक 08-04-2021

--00--

प्रदेश में राजस्व विभाग के शासकीय सेवकों को CUG SIM के उपयोग के लिये अप्रैल 2021 में उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार नवीन सी.यू.जी. सिम के वितरण कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले मे पदस्थ SLR/In charge -SLR को प्रभारी (नोडल) अधिकारी बनाया गया । नवीन सी.यू.जी सिम संधारण की डिटेल मार्गदर्शिका विस्तृत जारी की गई । कृपया समस्त संबधित, नोडल अधिकारी एवं समस्त जिले निम्न निर्देशों का पालन करें :-

1. **पात्रता** – सी.यू.जी. हेतु पात्र शासकीय सेवकों की सूची **संलग्नक-1** अनुसार रहेगी।

2. **सी.यू.जी. सेवा प्रदाता तथा सुविधाएं** –

   2.1 सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय किये जाने वाले पैकेज की जानकारी **संलग्नक-2** में संलग्न है ।

   2.2 किसी भी ऑपरेटर की सिम पर अनलिमिटेड कॉल सुविधा एवं प्रत्येक सिम पर 30 GB Data प्रतिमाह उपलब्ध रहेगा ।

   2.2.1 30 जी.बी. डेटा पूर्णत: इस्तेमाल हो जाने की स्थिति में इसे पृथक से सेवा प्रदाता की वेबसाईट या मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर रिचार्ज (टॉपअप) किया जा सकता है, जिसका व्यय स्वंय उपयोगकर्ता द्वारा ही वहन किया जावेगा।

3. **पद आधारित** CUG SIM **-**

   3.1 CUG SIM पदनाम के आधार पर ही प्रदाय की जायेगी किन्तु इसे संबंधित उपयोगकर्ता से लिंक माना जायेगा एवं उसकी सम्पूर्ण कानूनी जिम्मेदारी व्यक्तिगत होगी ।

   3.1.1 संबंधित शासकीय सेवक का राजस्व विभाग के अन्तर्गत किसी भी अन्य स्थान पर स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में एवं विभाग में पदस्थी दिनांक तक उसी सिम का उपयोग किया जा सकेगा जिससे सिम को बार-बार जमा एवं प्रदाय करने की व्यवस्था से मुक्त रहेगा।

   (** जिले में डिप्टी कलेक्टर एवं उससे वरिष्ठ अधिकारी के स्थानांतरण की स्थिति में पद आधारित सिम को जिले के ही नोडल अधिकारी को जमा करना होगा एवं इसकी सूचना नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय को सी.यू.जी. ईमेल पर देनी होगी)

4. **सेवानिवृत्त, स्थानांतरण(अन्य विभाग), त्यागपत्र आदि की स्थिति में सिम का संधारण-**

4.1 उपरोक्त स्थिति में शासकीय सेवक अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से सिम को निष्क्रिय करने /सरेन्डर करने के लिये संबंधित आदेश के साथ अपना आई.डी., नाम, नम्बर, पोस्टिंग का स्थान, व्यक्तिगत रूप से **प्रारूप-1** में प्रदान कर आगे की प्रक्रिया के लिये आवेदन कर NOC प्राप्त करेगा ।

4.2 नोडल अधिकारी जमा की गई सिम को उनके स्थान पर आये नये शासकीय सेवक को प्रदाय करने के लिये अधिकृत होगा |

4.3 यदि किसी भी स्थिति मे संबंधित सिम 7 दिवस में नोडल अधिकारी को प्रदान नहीं की जाती है तो नोडल अधिकारी द्वारा सिम को निलंबित करने की सूचना आयुक्त भू-अभिलेख को ईमेल (cug.revenue@mp.gov.in) के माध्यम से तत्काल देना होगी, जिससे कि उस सिम की सेवाएं निष्क्रिय की जा सकें ।

5. **शासकीय कार्य पर उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में (दो माह या अधिक अवकाश एवं अनुपयोग) सिम का संधारण**:

दो माह य़ा अधिक समय से शासकीय कार्य पर उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक को समय पूर्व सूचना से सिम को निलंबित रखने हेतु जिले के संबंधित नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा । नोडल अधिकारी ईमेल के माध्यम से आयुक्त भू-अभिलेख (**cug.revenue@mp.gov.in**) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करेगें।

नोट :- संबंधित जिले के नोडल अधिकारी को सिम निलंबित किये जाने या पुन: सक्रिय करने हेतु शासकीय ईमेल द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख के शासकीय ईमेल cug.revenue@mp.gov.in पर अनुरोध करना होगा ।

6. **SIM Lost /Damage**

सिम खोने /टूटने की स्थिति में उपयोगकर्ता अपने जिले के नोडल अधिकारी को सूचित करेगा एवं नोडल अधिकारी आयुक्त भू-अभिलेख को शासकीय ईमेल cug.revenue@mp.gov.in पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगा | जिससे की सेवा प्रदाता द्वारा नई सिम प्रदान की जा सकेगी ।

7. **विभागाध्यक्ष तथा संभागीय कार्यालयों में निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त होगें** –

7.1 उप सचिव (शाखा-1) - राजस्व विभाग, मंत्रालय

7.2 उप राहत आयुक्त - राहत आयुक्त, कार्यालय

7.3 उप आयुक्त - प्रमुख राजस्व आयुक्त, कार्यालय

7.4 उप निंयत्रक - शासकीय मुद्रणालय भोपाल

7.5 उप आयुक्त (राजस्व) - संभाग आयुक्त कार्यालय

** संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय को सूचित कर अन्य किसी अधिकारी को भी सिम का प्रभार देने हेतु स्वतंत्र होगें ।

8. **नोडल अधिकारी का दायित्व -**

8.1 जिले के नोडल अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय अन्तर्गत राजस्व विभाग के **संलग्नक-1** अनुसार शासकीय सेवकों की संख्या का आंकलन कर उन्हें सिम उपलब्ध करायेगें ।

8.2 नोडल अधिकारी सिम प्रदाता कम्पनी एवं आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय से समस्त पत्राचार, उपयोगकर्ता की समस्या आदि के निराकरण हेतु समन्वय करेगें ।

8.3 जिले में स्थित राजस्व विभाग अन्तर्गत वरिष्ठ कार्यालय जैसे मंत्रालय, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त भू-अभिलेख, नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय एवं संभागीय आयुक्त कार्यालय के संलग्नक-1 में उल्लेखित शासकीय सेवकों को सिम वितरण करायेगें । इन कार्यालयों में सिम संधारण हेतु समय-समय पर सम्पर्क स्थापित करेगें ।

9. **आयुक्त भू अभिलेख के OIC का दायित्व -**

9.1 **जिला कार्यालय, संभागीय कार्यालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों** के नोडल/प्रभारी अधिकारियो द्वारा CUG सिम से सम्बंधित प्राप्त ईमेल आवेदनों/समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करना |

10. **संभागीय कार्यालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी का दायित्व -**

10.1 कार्यालयो के प्रभारी अधिकारी जिले के नोडल अधिकारी (SLR/In charge -SLR) को पात्र (संलग्नक -1 अनुसार) शासकीय सेवकों की सूची उपलब्ध करा कर सिमें प्राप्त होने पर वितरण करायेगें |

10.2 उपरोक्त उल्लेखित समस्त प्रक्रिया के लिए जिले के नोडल अधिकारी (SLR/In charge -SLR) को ईमेल के माध्यम से सूचित कर समस्या का निराकरण करायेंगे |

11. **सिम संधारण हेतु ऑनलाईन पोर्टल का उपयोग -**

समस्त सिम के संधारण हेतु शीध्र एक पोर्टल बनाया जायेगा जिसमें समस्त जिलो के नोडल अधिकारी/ सम्बधित कर्मचारी अपनी जानकारी रजिस्टर कर सकेगें एवं अन्य समस्त आवश्यक जानकारी, जैसे - उसके स्थानांतरण, त्याग पत्र, अन्य प्रभार एवं समस्त समस्याओं का ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही पत्राचार किया जा सकता है एवं सुविधा हेतु अन्य कार्य भी सम्पादित किये जा सकेगें ।

12. दिशा निर्देशों के पालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय के प्रतिनिधि श्री **दिगपाल सिंह कुशवाह** (+91-7898682418) एवं **श्री किशोर अग्रवाल** (+91-8319408247) से विभागीय ईमेल (**cug.revenue@mp.gov.in**) पर पत्राचार किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil
Date: 2021.09.04 20:10:27 IST

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील)
आयुक्त
भू-अभिलेख,मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक: 372/2021/CLR /13-**एम.एम.सेल/सी.यू.जी.**/2021 ग्वालियर,दिनांक 04/09/2021

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. राहत आयुक्त, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु|
4. नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. रिलाईन्स जियो इन्फोकोम लिमिटेड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त

भू-अभिलेख,मध्यप्रदेश

संलग्नक 1: पदनाम जिन्हे विभागीय मोबाइल नंबर CUG (क्लोज्ड यूजर ग्रुप)सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना है

कार्यालय का नाम	पदनाम
मंत्रालय वल्लभ भवन	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग
	सचिव, राजस्व विभाग
	अपर सचिव, राजस्व विभाग
	उप सचिव, राजस्व विभाग
	अवर सचिव, राजस्व विभाग
	अनुभाग अधिकारी, राजस्व विभाग
प्रमुख राजस्व आयुक्त	प्रमुख राजस्व विभाग
	संयुक्त राजस्व आयुक्त
	उप राजस्व आयुक्त
	सहायक राजस्व आयुक्त
	संयुक्त संचालक वित्त
	कार्यालय अधीक्षक
	सहायक कार्यालय अधीक्षक
आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त	आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
	अपर आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
	संयुक्त आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
	संयुक्त संचालक वित्त
	उप आयुक्त भू-अभिलेख
	कार्यालय अधीक्षक
	सहायक कार्यालय अधीक्षक
नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री	नियंत्रक शा. मु. तथा लेखन सामग्री
	संयुक्त नियंत्रक शा. मु. तथा लेखन सामग्री
	उप नियंत्रक शा. मु. तथा लेखन सामग्री
	सहायक नियंत्रक शा. मु. तथा लेखन सामग्री
	लेखाधिकारी
	कार्यालय अधीक्षक
राहत आयुक्त	राहत आयुक्त
	उप राहत आयुक्त

	लेखाधिकारी
संभागायुक्त कार्यालय	**संभागीय आयुक्त**
	अपर आयुक्त
	उप आयुक्त
	कार्यालय अधीक्षक
कलेक्टर कार्यालय	**कलेक्टर**
	अतिरिक्त / अपर कलेक्टर
	संयुक्त कलेक्टर
	डिप्टी कलेक्टर
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
	तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार
	नायब तहसीलदार
	कार्यालय अधीक्षक
	सहायक कार्यालय अधीक्षक
	अधीक्षक भू अभिलेख
	सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
	राजस्व निरीक्षक
	पटवारी

संलग्नक 2: जारी निविदा की RFP **अनुसार रिलाईन्स जियो इन्फोकोम लिमिटेड कम्पनी द्वारा स्वीकार किया गया प्लान निम्नानुसार है** :-

1. प्रत्येक सिम पर प्रतिमाह कुल 30 जी.बी .डाटा उपयोग के लिये उपलब्ध रहेगा ।
2. न्यूनतम टॉक टाईम 1,00,000 लाख सेकन्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा।
3. डाटा का इस लिमिट से अधिक उपयोग किये जाने पर पृथक से रिचार्ज कराना होगा ।

प्रारूप -1

प्रति,

नोडल अधिकारी

CUG SIM, (जिले का नाम)

विषय: **सीयूजी सिम कार्ड का समर्पण (**सेवानिवृत्त/स्थानांतरण(अन्य विभाग)/त्यागपत्र, दो माह या अधिक अवकाश एवं अनुपयोग की स्थिति में)

सन्दर्भ: ....

उपरोक्त विषयानुसार, CUG SIM कार्ड (Serial No.:..................., Mobile No.: ....) का समर्पण दिनांक .... मेरे द्वारा किया जाता है| अतः इस संबंध में आपके विभाग द्वारा NOC प्रदान किए जाने कर कष्ट करे |

संलग्न: SIM Card

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

विभाग: